चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : एस0वी0सी0 / 17 /
दिनांक : 15.07.2009

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक,

....
....
....

महोदय / महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16 (92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 के प्रस्तर–2 (1) में वर्णित निर्णय जो निम्न प्रकार हैः–

''अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से इतर संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर आनें वाले व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी से सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से 85 प्रतिशत सीटों पर विद्यालयों को शिक्षण सत्र 2003–04 से प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष 15 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का प्रवेश निजी प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा और किसी भी दशा में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।'' द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार आप अपने संस्थान में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या के 15 प्रतिशत सीटों पर प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करने के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का प्रवेश कर सकते हैं। कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उक्त अभ्यर्थियों को भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य होगा तथा उक्त अभ्यर्थियों से भी सामान्य वर्ग के लिए रु0 300 / – तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लिए रु0 200 / – का पंजीकरण वित्त नियन्त्रक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(नारायण प्रसाद)
उप कुलसचिव
सम्बद्ध कुलपति कार्यालय